

:: प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

<u>राजकोट / Rajkot – 360 001</u>

Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No. V2/4/BVR/2019

मूल आदेश सं / O.I.O. No.

101/AC/STAX/DIV/2016-17

दिनांक/ Date: 20/3/2017

अपीलआदेशसंख्या(Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-089-2019

आदेश का दिनांक /

20.03.2019

जारी करने की तारीख / Date of issue:

20.03.2019

Date of Order:

कमार संतोष, प्रधान आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by ShriKumar Santosh, Principal Commissioner (Appeals), Rajkot

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, ग राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजितः 🗸 Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot/Jamnagar/Gandhidham:

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellants & Respondent :-

M/s Nitin Construction Co. No.2, Block no. 11, Navjivan Society, Anantwadi, Bhavnagar.

इस आदेश(अपील) सं व्यथित काई व्यक्ति निम्नालेखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा मकती है। Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-(A)

वर्गीकरणमूल्यांकनसेसम्बन्धितसभीमामलेसीमाशुल्क,केन्द्रीयउत्पादनशुल्कएवंसेवाकरअपीलीयत्यायाधिकरणकीविशेषपीठ,वेस्टब्लॉकनं2,आर॰के॰पुरम,नईदि ल्ली,कोकीजानीचाहिए।/ The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation. (i)

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष मभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावी अहमदाबाद-३८००१६कों की जानी चाहिए।/ To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग ,व्याज की माँग और लगाया गया (iii) जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संवंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम में किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के वैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित डाफ्ट का भगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित (B) प्रपत्र S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,व्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए यो 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/



(ii)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D:

(iii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कीपुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of Endia:
इस आदेश की पुनरीक्षण आवेदन कि निम्नलिखित मामलों में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। (C) A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance. Department of Revenue. 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to subsection (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाते ने भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, विभी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में!/
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भुदान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

मुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी केडीट इन अधिनियन एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विक्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। (iv) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्न मंख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अनील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रपण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के माथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां मंलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / (v) The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्निचित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए : जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का नमावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुक्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य में वचन के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय मरेकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथामंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुमूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रूपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)

मीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संवन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख मकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in. (G)

(ii)

:: ORDER IN APPEAL ::

The present appeal has been filed by M/s. Nitin Construction Co. No.2 Block No.11 Navjivan society, Anantwadi, Bhavnagar (hereinafter referred to as "the appellant") against Order-In-Original No. 101/AC/STAX/DIV/2016-17 dated 20.03.2017 (hereinafter referred to as "the impugned order"), issued by the Assistant Commissioner, Service Tax Division Bhavnagr, (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

- 2. I find that the present appeal has been filed by the Appellant on 18.02.2019 whereas the impugned order issued on 20.03.2017 and shown to have been received on 20.03.2017 by the appellant in their in Appeal Memorandum, which clearly establishes that the appellant has filed this appeal causing delay of 700 days.
- 3. I further find that the appeal has been filed beyond the stipulated period of Two months from the date of receipt of the impugned order. This appellate authority has, in terms of Section 85 of the Finance Act, 1994, power to condone delay in filing appeal maximum up to further One month, if prevented by sufficient cause. The present appeal has been filed beyond stipulated time limit of Three months provided under the statute and hence, I have no option but to dismiss this appeal on the ground of limitation of time without going into merits.
- 4. In view of above, I dismiss the present appeal filed by the appellant in limine.
- अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

5. The appeal filed by the appellant stands disposed off in above term.

सत्यापित,

प्रधान आयुक्त (अपील्स

By Speed Post

To,

अर्धापा छ (नर्पारस)

आर. एन. मीणा

M/s. Nitin Construction Co.,

No.2 Block No.11.

Navjivan society,

Anantwadi, Bhavnagar

मेसेर्स:- नितिन कन्स्ट्रकशन क.

न. 2 ब्लॉक न. 11,

नवजीवन सोसाइट,

आनंदवाड़ी भावनगर

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,भावनगर आयुक्तालय, को आगे आवशयक
- 3) उप / सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सिल्वर आर्क, तीसरा फ्लोर मण्डल – भावनगर-१, । 4) गार्ड फाइल